रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072020-220657 CG-DL-E-23072020-220657

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2136] No. 2136] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2020/ श्रावण 1, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2020/SHRAVANA 1, 1942

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2020

ली-ं 2421 № 2421 № 24 केंद्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 24 जुलाई, 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:-

अध्याय		धारा
I	परिभाषाएं	धारा 2 का खंड(4), खंड(13), खंड(14), खंड(16),
		खंड(40) .
III	केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण	धारा 10 से 27 (जिसमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं);
IV	उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	धारा 58 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उपखंड- (iv)
VII	अपराध और शास्तियां	धारा 88, धारा 89, धारा 92 और धारा 93.

3259 GI/2020 (1)

VIII	प्रकीर्ण	- धारा 94, धारा 96, धारा 97, धारा 99.
		-धारा 101 की उप-धारा (2) के खंड (च) से (ड) तथा
		उप-धारा (2) का खंड (यछ), (यज) और (यझ).
		-धारा 104.

[फा.सं. जे-9/1/2020-सीपीयू] अमित मेहता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

Notification

New Delhi, the 23rd July, 2020

S.O. 2421(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Central Government hereby appoints the 24th day of July, 2020 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely:-

Chapter		Sections
Ι	Definition	Section 2 [clauses (4), (13), (14), (16), (40)]
III	Central Consumer Protection Authority	Sections 10 to 27 (both inclusive)
IV	Consumer Disputes Redressal Commission	Sub-clause (iv) of clause (a) of sub-section (1) of section 58
VII	Offences and Penalties	Sections 88, 89, 92 and 93.
VIII	Miscellaneous	-Sections 94, 96, 97 and 99Clauses (f) to (m) of sub-section 2 and clauses (zg), (zh) and (zi) of sub-section 2 of Section 101 - Section 104

[F. No. J-9/1/2020-CPU]

AMIT MEHTA, Jt. Secy.